(142)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1497–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 55/अपील/2014–15.

1– नारायण सिंह आत्मज बाबूसिंह
2– रामसिंह आत्मज देवी सिंह
3– शंकर सिंह आत्मज ताराचंद
4– जसवंत सिंह आत्मज मोतीसिंह
5– दिलीपसिंह आत्मज ताराचंद
6– खुशाल आत्मज जगन्नाथ
निवासीगण ग्राम सन्यासा
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शांताबाई पत्नी स्व. बद्रीप्रसाद
2– सुन्दरलाल दत्तक पुत्री बद्रीप्रसाद
निवासीगण ग्राम सन्यासा
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम सन्यासा स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 8/13 एवं 53/9 रकबा 7.698 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 14–6–08 को हुए सीमांकन के आधार पर आवेदकगण का अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक

3/अ–70/2008–09 दर्ज कर दिनांक 29–10–13 को आवेदकगण का अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी जिला हरदा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–1–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–10–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तोजों का उचित विश्लेषण किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा जिन विधिक पहलुओं को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, उनका सकारण निराकरण नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर विधिक भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पटवारी के कथनों का सही विश्लेषण अपने आदेशों में नहीं किया गया है, जबकि पटवारी के कथन को पूर्ण रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदक पक्ष को सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है । प्रकरण में संलग्न पंचनामा से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 53/9 का ही सीमांकन हुआ है । तहसील द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में दिनांक 29–10–13 को आदेश पारित कर आवेदक पक्ष को सर्वे क्रमांक 53/9 से ही बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समतर्वी निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस संबंध में

1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

''धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।''

2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–:

''धारा 50–तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर